

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. पाबुराम

हलका. नेहरो की ढाणी

पुत्र श्री. योत्तराम जाति. जाट

निवासी- नेहरो की ढाणी

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 24/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
24-7-2020	पटवारी हलका. नेहरो की ढाणी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा. नेहरो की ढाणी के खसरा नंबर 205 रकबा 0.0640 हे. किस्म भूमि. अ. भू. सल्ला पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
13-8-2020	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सायल द्वारा जारी नोटिस भद्रक लामिल प्राप्त। तारीख पेशी बढाई जाकर पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश हो।	
26-8-2020	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल को एक और भवत दिनांक 16-9-2020 को पेश हो।	पाबुराम

तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर

16-9-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थिति।
गैर साफल को जवाब हेतु अवसर दिनांक 16-9-2020
पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थिति।
गैर साफल को जवाब हेतु एक और अवसर
दिनांक 28-10-2020
को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

28-10-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थिति।
गैर साफल को अधिकारी मानते हुए, एक तरफ
कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली पत्रसल
सुमार है। निजी अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली है। निजी खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली पत्रसल सुमार है।
दफ्तर दाखिल है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर